

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/संस्था./अलेसे-III/4756

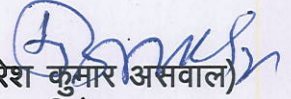
दिनांक :- 25-11-2019

1. करण सिंह यादव,
मेरिट नं. 222/2013
राज स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपो जयपुर
2. रामावतार मीणा,
मेरिट नं. 1967/2013
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर
3. प्रदीप कुमार चौधरी,
मेरिट नं. 1095/2013
मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
4. राहुल तिवाड़ी,
मेरिट नं. 464/2013
निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर
5. शंकर लाल यादव,
मेरिट नं. 550/2013
निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर
6. त्रिभुवन शर्मा,
मेरिट नं. 333/2013
कोषाधिकारी, कोषालय जयपुर ग्रामीण
7. मुरलीधर मीणा,
मेरिट नं. 2333/2013
आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
8. प्रशांत कुमार शर्मा,
मेरिट नं. 77/2013
उपकोषाधिकारी, मोजमाबाद, जयपुर
9. ओमप्रकाश साण्डेला,
मेरिट नं. 1648/2013
निदेशालय निरीक्षण विभाग जयपुर

विषय:- निदेशालय के कार्मिक (III) अनुभाग में कार्यरत कार्मिकों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सोशल मीडिया (Whatsapp) के माध्यम से निदेशालय के कार्मिक-III अनुभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी अंकित की गई है।

अतः आप द्वारा सोशल मीडिया (Whatsapp) के माध्यम से लगाये गये आरोप/आपत्तिजनक टिप्पणी के सम्बन्ध में 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


(सुरेश कुमार असवाल)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/संस्था./अलेसे-III/4756

दिनांक :- 25/11/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)